सत्यमेव जयते

झारखंड गजट

असाधारण अंक

झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 1 राँची, बुधवार

18 पौष 1935 (श०)

8 जनवरी 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

7 जनवरी 2014

विषय: पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायत सचिव पद के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अंतर्गत अनुमान्य वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- 6/एस॰-6(प्रो॰)-02/2013/48/वि॰--फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा एवं केन्द्र सरकार में लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा अपने सेवीवर्ग को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि॰, दिनांक 14 अगस्त 2002 के द्वारा सुनिश्चित वृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। सरकारी सेवक को क्रमशः 12/24 वर्षो की लगातार नियमित सेवा के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन उनके संवर्ग के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित वेतनमानों में अनुमान्य है।

2. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि॰, दिनांक 14 अगस्त 2002 की कंडिका-3 (x) में अधोलिखित प्रावधान है:-

''परन्तु एकल पद एवं ऐसे पद/पद समूह/संवर्ग, जिसमें विशिष्ट रूप से पदसोपान नहीं बने हुए है और सीधे राज्य सेवा/संवर्ग में कुछ प्रतिशत पद ही प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है, उनके संबंध में संबंद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वेतनमान के तुरन्त बाद वाले वेतनमान में ही वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा''।

3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि॰, दिनांक 14 अगस्त 2002 की कंडिका-2(3) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जहाँ प्रोन्नति के पदसोपान निर्धारित नहीं है या पदसोपान में दो से कम प्रोन्नति के पद कर्णांकित है, उन्हें अनुसूची-1 के अनुसार उच्चत्तर वेतनमानों में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3594/वि॰, दिनांक 18 दिसम्बर 2007 की कंडिका-3 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सरकारी सेवक के भर्ती एवं सेवाशर्त नियमावली में निर्धारित पदसोपान ही विशिष्ट रूप से निर्धारित पदसोपान माने जायेंगे।

4. पंचायत सचिव के मामले में पूर्व से कोई नियमावली गठित नहीं हैं पंचायती राज विभाग के अधीन वर्ष 2008 में गठित नियमावली यथा ''झारखण्ड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली में निहित प्रावधान का लाभ पंचायत सचिव के मामले में भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं किया जा सकता है। जबकि ए॰सी॰पी॰ का लाभ दिनांक 9 अगस्त 1999 से दिनांक 31 अगस्त 2008 तक प्रभावी है। इस प्रकार वर्ष 2008 में गठित नियमावली के आधार पर ए॰सी॰पी॰ का लाभ स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

5. अविभाजित बिहार सरकार, ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज निदेशालय) के संकल्प संख्या 1574, जो दिनांक 7 मार्च 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित है, के द्वारा पंचायत पर्यवेक्षक के संवर्ग के पचास प्रतिशत पद पर पंचायत सचिव के पद से पंचायत पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। पंचायत पर्यवेक्षक (प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी) का पंचम वेतन पुनरीक्षण के क्रम में वेतनमान रु॰ 5000-8000 निर्धारित है। पंचायत सचिवों का द्वितीय प्रोन्नति हेतु पद सोपान परिभाषित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि जब ए॰सी॰पी॰ की योजना लागू की गयी थी, तब पंचायत सचिव के लिए प्रोन्नति नियमावली अलग से गठित नहीं थी, परन्तु उक्त परिपत्र के आलोक में पंचायत सचिव से पंचायत पर्यवेक्षक (प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी) के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है।

6. पंचायत सचिव के मामले में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत् बिहार सरकार, पंचायत राज विभाग के परिपत्र संख्या 2015 दिनांक 18 मई 2009 के द्वारा प्रथम वित्तीय

उन्नयन का लाभ वेतनमान रु॰ 5000-8000 एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान रु॰ 5500-9000 में प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। चूँकि ए॰सी॰पी॰ योजना से लाभान्वित होने वाले इस राज्य के पंचायत सचिव राज्य विभाजन के पूर्व ही नियुक्त हुए थे इसलिए बिहार के सदृश ए॰सी॰पी॰ का लाभ इस राज्य के पंचायत सचिवों को भी दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30 दिसम्बर 2013 की बैठक में मद संख्या 14 के रूप में विभागीय संलेख सह ज्ञापांक 3539/वि॰ दिनांक 19 दिसम्बर 2013 में विचारोपरांत इस पर सहमति व्यक्त की गयी है।

8. सम्यक् विचारोपरांत उपर्युक्त के आलोक में पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायत सचिवों को प्रथम ए॰सी॰पी॰ का लाभ वेतनमान रु॰ 5000-8000 एवं द्वितीय ए॰सी॰पी॰ का लाभ वेतनमान रु॰ 5500-9000 में अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है।

9. यह लाभ ए॰सी॰पी॰ योजना के अंतर्गत है, जो दिनांक 31 अगस्त 2008 तक प्रभावी होंगे तथा दिनांक 01 सितम्बर 2008 से राज्य कर्मियों के लिए लागू संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना संबंधी निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981/वि॰, दिनांक 01 सितम्बर 2009 में यथा विहित प्रावधान इनके मामले में अक्षरसः लागू होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1—50+100 ।